

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 39 / 2017

तारीख रजु 07.04.2017

उनवान

कल्याण पुत्र घमण्डी जाति जाट निवासी क्यारदा कलां तहसील हिण्डौन जिला करौली
-----वादी

बनाम

मुरारी पुत्र घमण्डी बगै० जाति जाट निवासी क्यारदा कलां तहसील हिण्डौन जिला करौली

-----प्रतिवादीगण 07

उपस्थिति:-

वादीगण की ओर से :- श्री कृष्ण मुरारि शर्मा एडवाकेट।

प्रतिवादीगण की ओर से :- कोई उपस्थित नहीं।


निर्णय

दिनांक 19.08.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा ग्राम क्यारदा कलां तहसील हिण्डौन के खसरा नंबर 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 579 दाबा बावत् विभाजन आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया। इसी दौरान वादीगण की द्वारा दिनांक 19.08.2020 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उनका प्रतिवादीगण के साथ राजीनामा होने से दावा नहीं चलाना चाहते हैं। दावा नोट प्रेस में खारिज चाहा है।

अतः वादी का दावा मुकदमा नंबर 39/2017 कल्याण बनाम घमण्डी बगै० नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।


(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

